

**मांग संख्या 81**  
**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु रूपये 250.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 3604**

**मद क्रमांक 2**

प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु राशि रूपये 5910.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 59,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।